अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

11/2019 बाजदायरी हीरालाल V/S विमलचन्द वगैरह

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2019/00017 श्री प्रदीप बिश्नोई, एड० प्रार्थी श्री योगेन्द्र सिंह शेखावत-1 GA-2	
28/6/19	**हीरा लाल बनाम विमलचन्द वगैरह** रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.(बाजदायरी) पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01,2 उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.(बाजदायरी) पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि दिनांक 15.10.2018 को अन्य न्यायालय में पैरवी में व्यस्त होने के कारण न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हो सका। अभिभाषक प्रार्थी एवं प्रार्थी की उक्त जानबूझकर नहीं की गई। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.(बाजदायरी) स्वीकार किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे। अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.(बाजदायरी) को स्वीकार करने के ठोस आधार प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नहीं किये है इसलिए खारिज किया जावें। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.(बाजदायरी) को 1000/–रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते है। **अतः रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.(बाजदायरी) को 1000/–रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	